

From,

I/C Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request 110

To,

The District Judge,
Saharanpur.

No. ² 10837 /IV- 3937/ Admin (A) / dated : Allahabad. 29-06-2011


Sub: Permission to appear in the Haryana Higher Judicial examination to Sri Sanjiv Pandey, Additional District & Session Judge, Saharanpur.

Sir,

With reference to your endorsement no. 557/ I dated 23.05.2011 on the above subject, I have to say that Sri Sanjiv Pandey, Additional District & Session Judge, Saharanpur may kindly be asked to furnish following details/ information / papers to the Court at an early date, so that further necessary action may be taken in the matter.


1. to furnish relevant papers of eligibility criteria.
2. to intimate in particular as to how he is eligible to appear in Haryana Higher Judicial Service examination, as he became a member of U.P. Higher Judicial Service now.
3. to intimate the schedule date of preliminary/ Mains examination, if fixed in the mean time.
4. to submit declaration that by appearing in the aforesaid examination, Judicial work will not suffer in any way.

Yours faithfully


24/6/11
Deputy Registrar

No. ³ 10838 / IV-3937 / Admin (A) / Dated 29-06-2011

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Sanjiv Pandey,
Additional District & Session Judge, Saharanpur.


24/6/11
Deputy Registrar

002 (M)
May issue?
Ak Bhandari
23/06/11

कार्यालय-ज्ञाप

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-22/पी.एस.(आर.जी.)/2010 दिनांक 19.1.2010 द्वारा उ० प्र० उच्चतर सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के नियम-18,20 एवं 21 के अन्तर्गत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से उच्चतर न्यायिक सेवा हेतु चयनित कुल 115 अधिकारियों, जिसमें से 81 पद श्रेष्ठता एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तथा 'बार' से सीधी भर्ती के अन्तर्गत 34 अभ्यर्थियों की संस्तुति नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी थी।

2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित संस्तुति में उ० प्र० राज्य में लागू आरक्षण नियमों एवं अन्य मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था, अतः प्राप्त विधिक राय के अनुसार उ० प्र० राज्य की ओर से मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में आई.ए. संख्या-83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद योजित की गयी। उक्त आई.ए. में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.1.2010 में संस्तुत विभागीय 81 न्यायिक अधिकारियों में से 76 अधिकारियों की उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/तैनाती विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-2371/दो-4-2010-32(1)/2005 दिनांक 4.9.2010 निर्गत किया गया।

3- उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनित 34 अभ्यर्थियों के बारे में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2010 द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिये गये कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जायं। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 15.11.2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रश्नगत सीधी भर्ती के चयन में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश भी दिये गये।

4- अतएव प्रश्नगत आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.11.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19.1.2010 द्वारा प्राप्त मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर

उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथा संशोधित के नियम-22 (1) एवं 22 (2) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार 'बार' से सीधी भर्ती के निम्नांकित अधिकारियों को प्रस्तर-2/3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Request-110

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1.	श्री विजय शंकर उपाध्याय पुत्र श्री सरयू प्रसाद उपाध्याय	130/34 एल-वन्न बगाही, ट्रांसपोर्टनगर, कानपुर, उ० प्र० 208023
2.	श्री सै० माउज बिन आसिम पुत्र श्री सै० आसिम अली	48 खैर नगर, गली बंगालिया निकट पुलिस चौकी मेरठ, उ० प्र० 250002
3.	श्री संजीव पाण्डेय पुत्र श्री ए.पी. पाण्डेय	म.नं. 1257 सेक्टर-18 सी चण्डीगढ़- 160018
4.	श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिश चन्द्र अग्रवाल	278 ई कृष्णानगर बुलन्दशहर, उ० प्र०-203001
5.	सुश्री प्रतिमा श्रीवास्तव पुत्री श्री के.एस. श्रीवास्तव	106/90 बादशाही मण्डी, इलाहाबाद, उ० प्र०-211003
6.	श्री संजीव शुक्ला पुत्र श्री आर.के. शुक्ला	439/जे बक्शीखुर्द, दारागंज, इलाहाबाद, उ० प्र०-211006
7.	श्री अरविन्द मलिक पुत्र श्री जयपाल सिंह	06 सुशीला विहार कालोनी अपोजिट वाटर टैंक भूर, बुलन्दशहर, उ० प्र०-203001
8.	श्री संजय कुमार मलिक पुत्र श्री शोवीर सिंह मलिक	एफ-121 पाण्डव नगर, सिविल लाइन्स, मेरठ, उ० प्र०-250001
9.	श्री विकास कुमार पुत्र श्री रविन्दर सिंह	म.नं.-ए.109 पाण्डवनगर, मेरठ, उ० प्र०-250001
10.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह	ग्राम व पो०-काजमाबाद गून, जिला मेरठ 201205

5- उपरोक्तानुसार नियुक्ति सिविल अपील संख्या- संख्या-1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में योजित आई.ए. संख्या-83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं आई. संख्या-84/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

Request-110

6- उपरोक्त आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 एवं 15.11.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19.1.2010 द्वारा संस्तुत प्रोन्नति कोटे/सीधी भर्ती के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त बैच 2009 के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण होने के संदर्भ में किये जाने वाले चयन से नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक श्रेष्ठता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

(नेतराम)

प्रमुख सचिव

संख्या-3119(1)/दो-4-2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को उ० प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- 2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-22/पी.एस.(आर.जी.) दिनांक 19.1.2010 के संदर्भ में इस विज्ञप्ति की 10 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में, इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा० न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाय।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी उ० प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य, उ० प्र० शासन।

विशेष 2-
वाहक 202

- 5- प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री जी उ० प्र० शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र० शासन।
- 7- न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग/न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग।
- 8- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० गोमती नगर लखनऊ।
- 10- श्री कमलेन्द्र मिश्रा, ए.ओ.आर. मा० उच्चतम न्यायालय, बी.-23 सागर अपार्टमेन्ट-6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
- 11- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा संयुक्त सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जब तक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं वह तब तक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्रा)
संयुक्त सचिव।